राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक पः–9(68)राज–6/2018/82 जयपुर, दिनांकः– 18.12.18

–: अधिसूचना :–

राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम, संख्या 28) की धारा 3 सपठित राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 के नियम 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस विभाग की पूर्व अधिसूचना सं. पः–5(3)राज–4/74/राज–6/30 दिनांक 22.11.1995, समय–समय पर यथा संशोधित, को अतिष्ठित करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा,–

(1) राजस्थान राज्य में कार्यरत समस्त सिविल न्यायाधीश एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालयों को अपनी अपनी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के लिए ऋण अवमुक्ति न्यायालयों के रूप में स्थापित करती है, तथा संबंधित समस्त सिविल न्यायाधीश एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त स्थापित ऋण अवमुक्ति न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त करती है; और

(2) उक्त स्थापित ऋण अवमुक्ति न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 के प्रकरणों में सिविल न्यायाधीश न्यायालय हेतु रूपये दो लाख तक तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय हेतु रूपये दो लाख से अधिक होगा तथा ऐसे स्थानों पर जहां सिविल न्यायाधीश न्यायालय कार्यरत नहीं है एवं मात्र वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय ही कार्यरत है उन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार असीमित होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव